**संख्या-08/2023/511ई-2/तेरह-2023-1632649**

प्रेषक,

**उमेश कुमार तिवारी,**
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

**आबकारी आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ.दिनांक 11 मार्च, 2023

**विषय- मेसर्स बजाज हिन्दुस्थान शुगर लि., पलिया आसवनी, जिला लखीमपुर खीरी की क्षमता वर्ष में 300 कार्यकारी दिवस से बढ़ाकर 350 कार्यकारी दिवस स्वीकृति करते हुए आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 180 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 210 लाख लीटर वार्षिक निर्धारित किये जाने के संबंध में।**

---

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-319/दो-प्रा.डी.-77/पलिया, दिनांक 04-03-2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 04-03-2023 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स बजाज हिन्दुस्थान शुगर लि., पलिया आसवनी, जिला लखीमपुर खीरी की 60 कि.ली. प्रतिदिन अल्कोहल उत्पादन क्षमता को यथावत रखते हुए आसवनी को वर्ष में स्वीकृत कार्यकारी दिवस को 300 दिवस से बढ़ाकर 350 दिवस किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 180 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 210 लाख लीटर वार्षिक किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) इकाई को कार्यकारी दिनों की बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बढ़ी हुयी क्षमता पर आसवनी चलाये जाने से पूर्व उनकी कन्सेन्ट प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(2) इकाई द्वारा भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित सम्बन्धित समस्त आवश्यक पर्यावरणीय व अन्य सांविधिक शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कन्सेन्ट टू आपरेट दिनांक 25-10-2022 द्वारा निर्गत जल एवं वायु सहमति में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जाएगा।

(5) आबकारी आयुक्त द्वारा अग्रेतर कार्यवाही करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आसवनी पर राजस्व बकाया नहीं है।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

**(उमेश कुमार तिवारी)**
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।